भारत सरकार
वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग
केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त,
'नारकोटिक्स हाउस' राजस्व कॉलोनी के पास,
नीमच (म.प्र.) 458441

Government of India
Ministry of Finance, Department of Revenue
Central Bureau of Narcotics
O/o the Deputy Narcotics Commissioner,
"Narcotics House", Near Rajaswa Colony,
Neemuch (M.P.) 458 441

EPABX-07423-223030 FAX- 07423-220077/220099 e-mail : dnc-neemuch@cbn.nic.in

F.No. I(22)5/Adm/Weighing scale/2020- Dated : 19.03.2020

::निविदा सूचना ::

इस कार्यालय के अधीनस्थ जिला अफीम अधिकारी कार्यालयों के विभिन्न तौल केन्द्रों नीमच, सिंगोली, मनासा, सीतामउ, मन्दसौर (2 केन्द्र), जावरा, दूधाखेड़ी(गरोठ) पर अफीम तौल का कार्य किया जायेगा, जिसमें अफीम के तौल कार्य में प्रयोग होने वाले इलेक्ट्रोनिक बैलेंस मशीनों के रख–रखाव हेतु निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

1. प्रत्येक तौल केन्द्र पर 4 प्लेटफार्म बैंलेंस तथा 3 प्रेसीजन बैंलेंस का रखरखाव करना होगा, जिनकी संख्या घटाई व बढाई भी जा सकती है।
2. अप्रैल 2020 के प्रथम सप्ताह से लगभग 20 दिनों के लिए अफीम तौल का कार्य किया जायेगा।
3. इच्छुक फर्म अपनी मुहरबंद निविदाओं के लिफाफे में दिनांक 23.03.2020 को दोपहर 12:00 बजे तक कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच में प्रस्तुत कर सकते है। जिन्हे दिनांक 23.03.2020 को दोपहर 15:00 बजे निविदादाताओ के समक्ष खोला जाएगा।
4. यदि निविदादाता फर्म G.S.T में रजिस्टर्ड है तो G.S.T की दर व राशि का स्पष्ट उल्लेख करें व साथ ही G.S.T का पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करे।

विवरणिका

S.No.	Name of equipments	Specifications
1	Precision electronic balance	Capacity - 120 grams Accuracy - 1 miligram
2	Precision electronic balance (Make Contech)	Capacity - 120 grams Accuracy - 10 miligram
3	Plax TP Electronic Weighing Scale PL size 500X500 mm with Printer	Capacity - 40 Kgs. Accuracy - 10 grams.
4	Platform Balance (Make Contech)	Capacity - 40 Kgs. Accuracy - 10 grams.

नियम एवं शर्ते

1. सभी बैलेंस मय प्रिन्टर बैलेंस विभिन्न संख्या में कार्यालय जिला अफीम अधिकारी, नीमच –I/ II/ III, मन्दसौर–I/ II/ III, जावरा–I/ II एवं गरोठ खण्ड में रखे है, जिन्हे जांच कर मरम्मत कार्य दिनांक 30 मार्च 2020 तक पूरा करना होगा। इस कार्य हेतु किसी भी कार्य दिवस में उपरोक्त कार्यालयों में सुबह 09:30 बजे से 18:00 बजे तक जाया जा सकता है।
2. समस्त बैलेंस तथा प्रिन्टरो की मरम्मत, रखरखाव तथा पूरे तौल कार्य के दौरान कार्य स्थिति में रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। बैंलेस एवं प्रिन्टर की मरम्मत में लगने वाले पार्टस भी निविदादाता द्वारा ही लगाए जाएगें। समस्त बैलेंसो मय प्रिन्टर को तौल केन्द्र पर लगाने (Installation), तौल के दौरान समस्त रखरखाव (Maintenance) नियमित चलाने की जिम्मेदारी स्वयं निविदादाता की होगी ।

निरन्तर.......2.....

4. निविदादाताओं को प्रति निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में रू. 10,000/– (रूपये दस हजार) मात्र का बैक ड्राफ्ट जो "आहरण एवं संवितरण अधिकारी, कार्यालय उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच" के नाम पर देय हो, साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. यदि बोली में चयन होने के बाद किसी भी कारणवश निविदादाता कार्य करने के लिये मना करता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर राशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जावेगी एवं दूसरी सबसे कम दर वाले निविदादाता को प्रदान कर दी जावेगी जिसके बारे में पुनः विचार नही किया जावेगा।
6. तौल कार्य के दौरान प्रत्येक तौल केन्द्र पर निविदादाता को दो प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होगें, जो बैलेंस का रख–रखाव कर सके एवं प्रिन्ट निकाल सकें। प्रशिक्षित कर्मचारी को देय दर निविदा में अलग से बताई जाए।
7. सभी बैलेंस का सत्यापन सर्टिफिकेट राज्य तौल विभाग से दिनांक 24.03.2020 तक कराकर संबंधित जिला अफीम अधिकारी को देना होगा, जिनका भुगतान राज्य तौल विभाग के मूल बिल प्रस्तुत करने पर विभाग द्वारा किया जायेगा।
8. फर्म द्वारा संतोषजनक कार्य न किये जाने की स्थिति में फर्म का भुगतान रोका जा सकता है/कटौती की जा सकती है एवं धरोहर राशि भी जप्त की जा सकती है।
9. इस संदर्भ में कोई भी कानूनी कार्यवाही नीमच न्यायालय के अधीन होगी।
10. सर्वाधिकार श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच के पास सुरक्षित होगा। किसी भी निविदा/सभी निविदाओं को बिना कारण बताए निरस्त करने अथवा नई निविदा आमंत्रित करने का अधिकार श्रीमान उप नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच के पास सुरक्षित होगा।

19/05/2020

सहायक नारकोटिक्स आयुक्त,
नीमच (म.प्र.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान सहायक नारकोटिक्स आयुक्त, ग्वालियर को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया उक्त निविदा को इस विभाग की वेबसाईट www.cbn.nic.in पर देने का श्रम करें।
2. जिला अफीम अधिकारी, नीमच प्रथम/द्वितीय/तृतीय, मन्दसौर प्रथम/द्वितीय/तृतीय, जावरा प्रथम/द्वितीय, गरोठ खण्ड को इस आशय से प्रेषित है कि आप आपके इलाके में प्रचलित एवं प्रतिष्ठित फर्मो को सूचित करें।

अधीक्षक (कार्य.)
नीमच (म.प्र.)